

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर**  
 क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/2809 दिनांक:-3/5/18  
 :- आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय तथा फायरमैन संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	श्री मनोज कुमार शर्मा	कार्यालय सहायक	नदबई	राजरामन्द
2	श्री मनोज कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	नगर	नदबई
3	श्रीमती हेमलता सैनी	फायरमैन	हिण्डौनसिटी	नदबई

उक्त कर्मचारीयो को तुरन्त कार्यमुक्त कर पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करवाये।

**नोट:-**

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
5. कर्मचारी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कराया गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।


(मुकेश कुमार मीना)  
 अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:- प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./18/2810-826 दिनांक:-3/5/18

**प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. उप निदेशक (क्ष0) स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर/भरतपुर

5. आयुक्त/अध्यक्ष/सभापति अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/नगर पालिका/पालिका...  
.....।
6. श्री..... पद..... नगर पालिका.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

  
(अलका मीणा)  
उप निदेशक (प्रशासन)